



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072020-220516
CG-DL-E-14072020-220516

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2039]
No. 2039]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/ आषाढ़ 22, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASHADHA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

का.आ. 2312(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353डी के 8.300 कि.मी. से 54.385 कि.मी. के भूखण्ड (नागपुर-उमरेड सेक्शन) के निर्माण (चैडा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् “उपजिलाधिकारी, भूमि अर्जन (सामान्य), नागपुर” को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा,

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353-डी के कि.मी 8.300 से 54.385 तक (नागपुर-उमरेड सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नागपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नागपुर (ग्रामीण)					
गांव का नाम: कलामना					
1	146/147/3	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0534000(हेक्टेयर)	0.0534000
गांव का नाम: तकली (गोसाई)					
1	32	निजी(क्लास २)	एग्रीकल्चर	0.2900000(हेक्टेयर)	0.2900000
तालुक का नाम: उमरेड					
गांव का नाम: उकादवाही					
1	128	निजी(क्लास २)	एग्रीकल्चर	0.6500000(हेक्टेयर)	0.6500000
गांव का नाम: उटी					
1	1	सरकारी(महाराष्ट्र सरकार)	आबादी	0.4000000(हेक्टेयर)	0.4000000
2	48	सरकारी(महाराष्ट्र सरकार)	झुडपी जंगल	0.0280000(हेक्टेयर)	0.0280000
3	49	सरकारी(महाराष्ट्र सरकार)	झुडपी जंगल	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
4	50	सरकारी(महाराष्ट्र सरकार)	आबादी	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
कुल				1.5214	1.5214

[फा. सं. NH-12037/85/2015-MAH/3A6]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

S.O. 2312(E).—In exercise of powers conferred by subsection (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four- laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 353D, in the stretch of land from Km. 8.300 to Km 54.385 (Nagpur –Umred Section) in the State of Maharashtra in the district of Nagpur, hereby declares its intention to acquire such land for the above said purpose,

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub section(1) of section 3C of the said Act,

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector Land Acquisition (General) Nagpur, in the State of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under subsection (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person, at the office of the said competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH353D in the stretch of land from NH353D (Collector Office , Civil Lines , Nagpur) in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: NAGPUR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nagpur (Rural)					
Village: Kalamana					
1	146/147/3	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0534000(Hectare)	0.0534000
Village: Takli (Gosai)					
1	32	Private(CLASS 2)	AGRICULTURE	0.2900000(Hectare)	0.2900000
Taluk: Umred					
Village: Ukadwahi					
1	128	Private(CLASS 2)	AGRICULTURE	0.6500000(Hectare)	0.6500000
Village: Uti					
1	1	Government(Government of Maharashtra)	Abadi	0.4000000(Hectare)	0.4000000
2	48	Government(Government of Maharashtra)	Zudpi Jungle	0.0280000(Hectare)	0.0280000
3	49	Government(Government of Maharashtra)	Zudpi Jungle	0.0700000(Hectare)	0.0700000
4	50	Government(Government of Maharashtra)	Abadi	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Total				1.5214	1.5214

[F. No. No NH-12037/85/2015-MAH/3A6]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.